

पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

दिनांक 11 3 APR 2026

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2026/687
प्रति,

✓ प्राचार्य/संचालक,
श्री वैष्णव इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट & साइंस,
स्कीम नं. 71, गुमास्ता नगर, इन्दौर

विषय:- महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्थाई/अस्थायी सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भ: आपका पत्र क्र. SVIM/2025/353 दिनांक 21/03/2025 एवं दिनांक 10/04/2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 02/05/2025 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09/05/2025 में लिये गये निर्णयानुसार महाविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की सशर्त स्थाई/अस्थायी सम्बद्धता निरन्तरता जारी है:-

क्र.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	बी.बी.ए. (स्थायी सम्बद्धता)	480
2	बी.सी.ए. (स्थायी सम्बद्धता)	180
3	बी.एससी. (कम्प्यूटर साइंस अति. विषय के साथ) (स्थायी सम्बद्धता)	60
4	एम.बी.ए. (फायनेंसियल एडमिनिस्ट्रेशन) (स्थायी सम्बद्धता)	60
5	एम.बी.ए. (फूलटाईम) (स्थायी सम्बद्धता)	180
6	एम.बी.ए. (मार्केटिंग मैनेजमेंट)	60
7	एम.एससी. कम्प्यूटर साइंस	30
8	पीएच.डी. शोध केन्द्र (मैनेजमेंट)	---

निर्देश:-

1. ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
2. परीक्षा कार्य में असहयोग करने वाले महाविद्यालयों को आगामी सत्र में निरन्तरता/नवीनीकरण करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. के मापदण्ड अनुरूप छात्र संख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्था का होगा।
4. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. महाविद्यालय ऑनलाइन सर्वे आन हायर एजुकेशन aishe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
6. सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर CCTV कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्र.शैक्षणिक/सम्बद्धता/2026/687

दिनांक :

11 3 APR 2026

प्रतिलिपि:-

1. उपकुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाइन, दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपकुलसचिव (शैक्ष.)



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

क्रं. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2026/703
प्रति,

दिनांक 11-3-2026
11-3-APR 2026

प्राचार्य/संचालक,
श्री वैष्णव इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट & साइंस,
स्कीम नं. 71, गुमास्ता नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की तृतीय वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता एवं प्रथम व द्वितीय वर्ष नवीनीकरण शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 14/10/2025 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17/10/2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

क्र.	पाठ्यक्रम	सत्र	निर्णय
1	बी.बी.ए. (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन) तृतीय वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता एवं प्रथम, द्वितीय वर्ष नवीनीकरण	2025-26	60 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।
2	बी.बी.ए. (फॉरेन ट्रेड) तृतीय वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता एवं प्रथम, द्वितीय वर्ष नवीनीकरण	2025-26	60 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।
3	बी.एससी. (बायोटेक्नालॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमेस्ट्री) तृतीय वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता एवं प्रथम, द्वितीय वर्ष नवीनीकरण	2025-26	60 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।
4	बी.एससी. (बायोटेक्नालॉजी, बायोइंफॉरमेटिक्स, केमेस्ट्री) तृतीय वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता एवं प्रथम, द्वितीय वर्ष नवीनीकरण	2025-26	60 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।
5	बी.एससी. (बायोटेक्नालॉजी, केमेस्ट्री, कम्प्युटर साइंस) तृतीय वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता एवं प्रथम, द्वितीय वर्ष नवीनीकरण	2025-26	60 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।

शर्त:-

- महाविद्यालय द्वारा विज्ञान संकाय में 2 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति कॉलेज कोड-28 में तीन माह में एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित अन्य कमियों की पूर्ति एक माह में करने की शर्त पर उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रमों की तृतीय वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता प्रथम व द्वितीय वर्ष नवीनीकरण शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदान किया जाता है।
- महाविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार शर्तों की पूर्ति कर सत्यापित पालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने पर ही आगामी सत्र में महाविद्यालय को अस्थाई सम्बद्धता/नवीनीकरण प्रदान किया जावेगा।
- ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
- विश्वविद्यालय परिनियम क्रं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
- महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।

निर्देश:- सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर CCTV कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसि के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रं. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2026/703
प्रतिलिपि :-

दिनांक 11-3-2026
11-3-APR 2026

- उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डी.सी.डी.सी.